न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–413/17 रा0वाद

अनवान

श्री अगरू पिता श्री करमा जाति कुमावत निवासी रूपा का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।

–––वादी।

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, अतिरिक्त तहसील करेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)।

––प्रतिवादीगण।

उपस्थित :–

1–एस.एल गुर्जर अधिवक्ता वादी

2–पेरोकार सरकार अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज0का0 अधिनियम

बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 07.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0का0 अधिनियम बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया। प्रकरण वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जाकर उजरदारी पेश करने का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा अवसर प्रदान किया। तदुपंरात यह न्यायालय अस्तित्व में आने से इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में आने से प्रकरण हस्तान्तरित होकर प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारो को बार एसोसियेशन माण्डल के मार्फत सूचित किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 जिसे स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षकारान को अपना–अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण सं.2 की ओर से दिनांक 24.2.17 को जवाब पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 केम्प चिलेश्वर पर दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत की गई। हमने पत्रावली पर प्रस्तुत वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80(2) एवं इसकी ताईद में शपथ पत्र,राजस्व अभिलेख तथा इसके विपरीत प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा का अवलोकन किया गया।

मुताबिक वाद पत्र –वादी का कथन है कि ग्राम एवं पटवार मण्डल चिलेश्वर तहसील करेड़ा स्थित आ0नं0 1851,1852 मी. मे से रकबा 2.00बीघा भूमि जो राजस्व रेकार्ड सं. 2058 के मुताबिक जमाबंदी अनुसार बिलानाम सरकार भूमि है। उक्त वादग्रस्त 2.00 बीघा भूमि पर वादी पिछले करीब 20 वर्ष से अधिक समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान संदर्भ उक्त वादग्रस्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत वादी के विरूद्ध निरन्तर प्रकरण दर्ज होते रहे है। अतः उक्त वादग्रस्त रकबा 2.00बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बिलानाम सरकार के बजाय वादी के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अंकन कराये जाने की प्रार्थना पत्र की गई। इसके विपरीत राज्य पक्ष का कथन है कि सं. 2058 की जमाबंदी वादी द्वारा पेश नहीं की गई है न ही प्रदर्श कराई गई है। ग्राम चिलेश्वर की आ0नं0 1851 एवं 1852 बिलानाम सरकार है जो राज्य सम्पति होने की तारीफ में आती है। वादी ने विधि विरूद्ध कार्य कर अवैध कब्जा किया है जिसे बेदखल किया जाना आवश्यक बताया जाकर वादपत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner